पत्रिका

...न पत्रिका
...शुक्रवार, 17 मार्च, 2023

patrika.com

कृषि उपज मंडी सभागार में किसानों एवं उद्यमियों को योजनाओं की दी जानकारी

'खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग लगाने पर दस लाख रुपए तक का मिलेगा अनुदान'

पत्रिका लाइव रिपोर्ट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

राजसमंद के कृषि उपज मंडी स्थित सभागार में कार्यशाला को सम्बोधित करता वक्ता व अन्य।

राजसमंद. कृषि उपज मंडी सभागार में प्रधानमंत्री सूक्ष्य खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना विषय पर कार्यशाला हुई।

कार्यशाला में कृषि सचिव कुलदीप सिंह मीणा एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए कृषि विपणन विभाग की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। इसमें परियोजना लागत का अधिकतम 10 लाख अथवा 35 प्रतिशत तक पूंजी अनुदान का प्रावधान है। योजना के अन्तर्गत व्यवसायियों को कृषि आधारित उद्योग लगाने पर 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 लाख कृषकों, कृषक उत्पादक संगठन, सहकारी समितियों आदि को 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम एक करोड़ तक का पूंजी अनुदान देय है। जनजाति क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी मिलेगा। कृषि उत्पादन फल-सब्जियों आदि को घरेलू व अन्तरराष्ट्रीय निर्यात करने पर निर्यातक को योजना में भाड़ा अनुदान देय है।

बैठक में फूडटेक राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड प्रबंधक श्रवण कुमावत व अंकित शर्मा (ईडीएम) ने उद्यमियों व किसानों को योजना के तहत मिलने वाले अन्य लाभ, ब्रांडिंग व विपणन सहयोग, कॉमन पैकेजिंग जैसी साझा सेवाएं आदि पर जानकारी दी। कार्यशाला में फल सब्जी व्यापार संघ अध्यक्ष शम्भूलाल माली, अध्यक्ष डालचन्द्र कुमावत, मुकेश कुमावत, विकास अग्रवाल, नारायणलाल गुर्जर, भरत माली एवं समस्त किसान व उद्यमी उपस्थित रहे।

rajasthan patrika.com

विस्तृत खबरों और फोटोग्राफ्स के लिए देखें...
rajasthanpatrika.com

कार्यालय नगरपालिका फतहनगर सनवाड़ जिला उदयपुर (राज.)

Date: 17/03/2023, Edition: Rajsamand, Page: 10
Source : https://epaper.patrika.com/

कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर 10 लाख तक मिलेगा पूंजी अनुदान

राजसमंद (प्रातःकाल संवाददाता)। राज्य सरकार द्वारा कृषि विपणन विभाग के माध्यम से संचालित ''प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना'' (पीएमएफएमई) व कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना की जिले के किसानों व उद्यमियों को जानकारी देने के लिए कृषि उपज मण्डी समिति राजसमंद के सभागार में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। सचिव कुलदीप सिंह मीणा एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर के अधिकारियों ने बताया कि कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए कृषि विपणन विभाग द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इसमें परियोजना लागत का अधिकतम 10 लाख रूपये अथवा 35 प्रतिशत तक पूंजी अनुदान का प्रावधान है। सचिव ने योजनाओं के प्रावधानों व अनुदान पात्रता सहित आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

राजसमंद। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को लेकर कृषि उपज मंडि समिति में आयोजित कार्यशाला में मौजूद किसान व उद्यमियों को जानकारी देते अधिकारी। फोटो : मुबारिक हुडिया

सचिव कुलदीप सिंह मीणाने राज्य सरकार द्वारा संचालित कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अन्तर्गत व्यवसायियों को कृषि आधारित उद्योग लगाने पर 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 लाख रूपये कृषकों, कृषक उत्पादक संगठन, सहकारी समितियों आदि को 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम एक करोड़ रूपये तक का पूंजी अनुदान देय है। इसके अलावा जनजाति क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी मिलेगा। कृषि उत्पादन फल-सब्जियों आदि को घरेलू व अन्तराष्ट्रीय निर्यात करने पर निर्यातक को योजना में भाड़ा अनुदान देय है। बैठक में प्रबन्धक फूलटेक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, (आरएसएएमबी) श्रवण कुमावत व अंकित शर्मा (ईडीएम) ने उद्यमियों व किसानों को योजना के तहत मिलने वाले अन्य लाभों यथा ब्रांडिंग, विपणन सहयोग, कॉमन पैकेजिंग जैसी साझा सेवाएं आदि पर जानकारी दी। साथ ही बैठक में उपस्थित सभी चर्काओं से विभिन्न पहलूओं पर चर्चा की गई। कार्यशाला में बैठक में फल सब्जी व्यापार संघ, अध्यक्ष शम्भुलाल माली, अध्यक्ष डालचन्द कुमावत, मुकेश कुमावत, विकास अग्रवाल, नारायणलाल गुर्जर, भरत माली सहित किसान व उद्यमी उपस्थित थे।

मण्डी क्षेत्र के किसानों व उद्यमियों को प्रोत्साहन योजनाओं की दी जानकारी

कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर 10 लाख तक मिलेगा पूंजी अनुदान

राजसमंद। कृषि उपज मण्डि समिति में आयोजित कार्यशाला में मौजूद किसान व उद्यमियों को जानकारी देते अधिकारी। *फोटो- मुबारिक शुक्रिया*

राजसमंद। राज्य सरकार द्वारा कृषि विपणन विभाग के माध्यम से संचालित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना" (पीएमएफएमई) व कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना की जिले के किसानों व उद्यमियों को जानकारी देने के लिए कृषि उपज मण्डी समिति राजसमंद के सभागार में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। सचिव कुलदीप सिंह मीणा एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर के अधिकारियों ने बताया कि कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए कृषि विपणन विभाग द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इसमें परियोजना लागत का अधिकतम 10 लाख रूपये अथवा 35 प्रतिशत तक पूंजी अनुदान का प्रावधान है। सचिव ने योजनाओं के प्रावधानों व अनुदान पात्रता सहित आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सचिव कुलदीप सिंह मीणाने राज्य सरकार द्वारा संचालित कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अन्तर्गत व्यवसायियों को कृषि आधारित उद्योग लगाने पर 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 लाख रूपये कृषकों, कृषक उत्पादक संगठन, सहकारी समितियों आदि को 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम एक करोड़ रूपये तक का पूंजी अनुदान देय है। इसके अलावा जनजाति क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी मिलेगा। कृषि उत्पादन फल-सब्जियों आदि को घरेलू व अन्तराष्ट्रीय निर्यात करने पर निर्यातक को योजना में भाड़ा अनुदान देय है।

बैठक में प्रबन्धक फूडटेक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, (आरएसएएमबी) श्रवण कुमावत व अंकित शर्मा (ईडीएम) ने उद्यमियों व किसानों को योजना के तहत मिलने वाले अन्य लाभों यथा ब्रांडिंग, विपणन सहयोग, कॉमन पैकेजिंग जैसी साझा सेवाऐं आदि पर जानकारी दी। साथ ही बैठक में उपस्थित सभी वक्ताओं से विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। कार्यशाला में बैठक में फल सब्जी व्यापार संघ, अध्यक्ष शम्भुलाल माली, अध्यक्ष डालचन्द्र कुमावत, मुकेश कुमावत, विकास अग्रवाल, नारायणलाल गुर्जर, भरत माली सहित किसान व उद्यमी उपस्थित थे।